संख्या-174/2024/1457/22-2-2024-17(390)/2024

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शिवबाबू पुत्र श्री कल्लू, निवासी जनपद-चित्रकूट की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27468/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-03.09.2024, दिनांक 09.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शिवबाबू पुत्र श्री कल्लू, ग्राम-मंदिरहवा पुरवा, मौजा अमरपुर, थाना-रैपुरा, जनपद-चित्रकूट का निवासी है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 29.11.2001 को बंदी ने गोली से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-50/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायाधीश-1, चित्रकूट के आदेश दिनांक 16.11.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.10.2020 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.07.2024 तक 14 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 20 दिन की सपरिहार सजा की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट द्वारा बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अन्य अपराधियों को संगठित करके अपराध कारित करने की प्रबल संभावना होने, रिहाई के उपरान्त अपराध में लिप्त होने, जेल में निरुद्ध रहने से गांव में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनी रहेगी, वर्तमान समय में रंजिश/विवाद विद्यामान है, जिसके कारण बंदी द्वारा अपराध किये जाने की प्रबल संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 50 वर्ष की आयु तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शिवबाबू (बन्दी संख्या-247/2024) पुत्र श्री कल्लू, निवासी जनपद-चित्रकूट की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-174/2024/1457(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या-10721/2024 शिवबाबू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 के संदर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।